न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 55/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/96)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1.हेवंश पुत्र जयचन्द जाति कम्बोज निवासी चक 57 एफ तहसील श्रीकरणपुर नाबालिग जरिये कुदरतवली माता कृष्णा देवी पत्नी जयचन्द जाति कम्बोज निवासी 57 एफ तहसील श्रीकरणपुर।	1. लविश पुत्र चरणदास जाति कम्बोज निवासी चक 57 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. प्रेमदास पुत्र रामदिता जाति कम्बोज निवासी चक 57 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 06.04.2023

उपस्थितः 1.श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता वादी
2. श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2
3.श्री ईकबाल सिंह ढिल्लों अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

--निर्णय-- **दिनांकः 27.09.2023**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 57 एफ, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 94/83 के मुरब्बा नम्बर 20, 39, 60/33 की कुल 7.171 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में से वादी के नाम 2.390 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने काश्त की सहुलियत के लिए अपने-अपने हिस्सा की भूमि का वाहमी बंटवारा किया हुआ है। वादी को चक 57 एफ, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 94/83 के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 10 की 0.114 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 12, 13, 14, 15 सालम-सालम, किला नम्बर 16 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 17, 18 सालम-सालम, किला नम्बर 19/1 की 0.177 हैक्टेयर, किला नम्बर 20 की 0.189 हैक्टेयर, एंव मुरब्बा नम्बर 60/33 की 0.038 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला कुल 2. 390 हेक्टैयर भूमि बंटवारा में प्राप्त हुई है। जिस पर वादी आज तक लगातार, शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी की उक्त भूमि का विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। वादी वाहमी बंटवारा में प्राप्त उक्त भूमि का विधिवत् विभाजन करवाना चाहता है, ताकि भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचा जा सके, चूंकि मुश्तर्का खाता की भूमि में पानी की बारी, रास्ता, मुआवजा आदि को लेकर परेशानिया बनी रहती है, जिनके निवारण के लिए वादी खाता विभाजन करवाना चाहता है, जिसका वह अधिकारी है। दावा दायरी से दो रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादीगण से अपने-अपने हिस्सा की भूमि का वाहमी बंटवारा अनुसार विधिवत् विभाजन करवाने को कहा तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इन्कार कर दिया, इसलिए वादी को मजबूरन श्रीमान् जी के न्यायालय में दावा दायर करना पड रहा है, यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री सादर फरमाया जावेः-कि चक 57 एफ, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 94/83 के मुरब्बा नम्बर 20, 39, 60/33 की कुल 7.171 हैक्टेयर भूमि में से मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 10 की 0.114 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 12, 13, 14, 15 सालम-सालम, किला नम्बर 16 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 17, 18 सालम-सालम, किला नम्बर 19/1 की 0.177 हैक्टेयर, किला नम्बर 20 की 0.189 हैक्टेयर, एंव मुरब्बा नम्बर 60/33 की 0.038 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला कुल 2.390 हेक्टैयर भूमि का खाता व लगान वादी के नाम अलग से कायम किए जाने के आदेश फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री ईकबाल सिंह उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित आया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर चक 57 एफ, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 94/83 के मुरब्बा नम्बर 20, 39, 60/33 की कुल 7.171 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 2.390 हैक्टेयर भूमि का जोत विभाजन करवाया जाकर, खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे। नकल जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम वादी अधिवक्ता को दिलाई गई। वादी अधिवक्ता के द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम बन्द किए जाने बाबत निवेदन किया। जवाब काउन्टर क्लेम बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा जवाबदावा पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र व काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 2 डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र, जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 57 एफ, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 94/83 के मुरब्बा नम्बर 20, 39, 60/33 की कुल 7.171 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाल भूमि में वादी के हिस्सा में 2.390 हैक्टेयर भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्सा में 2.390 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में पंत्राक 3764 दिनांक 05.07.2023 से बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत किया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एतराज जाहिर किया कि विभाजन प्रस्ताव भूमि की गुणवता को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया हैं। प्रार्थी के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त दोनो मुरब्बों में हिस्सा अनुसार किलावाईज भूमि दी गई थी। उसी अनुरूप पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीकरणपुर को पुनः विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा पंत्राक 5015 दिनांक 05.09.2023 से भूमि की गुणवता, खाला व रास्ता को ध्यान में रखकर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया। सामिल मिसल किया गया।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 3764 दिनांक 05.07.2023 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 2 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा अर्ज किया कि वादी का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 2 का काउन्टर क्लेम तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 5015 दिनांक 05.09.2023 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जावे।

5. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 5015 दिनांक 05.09.2023 से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक वादी का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 2 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

–:आदेश:–

6\. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 57 एफ, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 94/83 के मुरब्बा नम्बर 20, 39, 60/33 की कुल 7.171 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाल भूमि में से वादी के हिस्सा में 2.390 हैक्टेयर भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्सा में 2.390 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	1.हेवंश पुत्र जयचन्द जाति कम्बोज निवासी चक 57 एफ तहसील श्रीकरणपुर नाबालिग जरिये कुदरतवली माता कृष्णा देवी पत्नी जयचन्द जाति कम्बोज निवासी 57 एफ तहसील श्रीकरणपुर। (2.390 हैक्टेयर)	57 एफ	20	4	0.168 हैक्टेयर	नहरी	1.19
				7	0.169 हैक्टेयर	नहरी	1.20
			39	9	0.211 हैक्टेयर	नहरी	1.50
				10	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.62
				11	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.62
				12 ता 16	1.265 हैक्टेयर	नहरी	9.00
				17	0.109 हैक्टेयर	नहरी	0.78
			60/33		0.012 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
2	प्रेमदास पुत्र रामदिता जाति कम्बोज निवासी चक 57 एफ तहसील श्रीकरणपुर। (2.390 हैक्टेयर)	57 एफ	20	5	0.169 हैक्टेयर	नहरी	1.20
				6	0.168 हैक्टेयर	नहरी	1.19
			39	17	0.144 हैक्टेयर	नहरी	1.02
				18	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				19/1	0.177 हैक्टेयर	नहरी	1.26
				20	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.62
				21	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.62
				22 ता 25	1.012 हैक्टेयर	नहरी	7.20
			60/33		0.013 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 27.09.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर